

## टैक्स हेवन के रूप में साइप्रस

### प्रलम्बिस के लिये:

टैक्स हेवन, दोहरा कराधान बचाव समझौता, साइप्रस के साथ भारत की कर संधि, कर चोरी

### मेन्स के लिये:

साइप्रस को टैक्स हेवन के रूप में इस्तेमाल किये जाने को लेकर चिंताएँ और नहितार्थ

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल की साइप्रस गोपनीय जाँच से [साइप्रस](#) में अपतटीय संस्थाओं और भारत में धनी व्यक्तियों से उनके संबंध से जुड़ी वित्तीय गतिविधियों का एक जटिल वेब सामने आया है।

- अंतरराष्ट्रीय खोजी पत्रकार संघ (International Consortium of Investigative Journalists- ICIJ) के सहयोग से की गई यह वैश्विक अपतटीय जाँच, विश्व भर के अमीर और शक्तिशाली लोगों द्वारा [टैक्स हेवन](#) के रूप में साइप्रस के उपयोग को उजागर करती है।

## नोट:

- टैक्स हेवन आमतौर पर एक **अपतटीय देश** होता है जहाँ राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर परिस्थिति में विदेशी व्यक्तियों तथा व्यवसायों को बहुत कम या कोई कर देय नहीं होता है।
- एक अपतटीय कंपनी अपने गृह देश के अलावा किसी अन्य क्षेत्राधिकार में नगिमाति होती है।
  - एक अपतटीय कंपनी स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य किसी बाहरी देश में **अनुकूल कर कानूनों** या **आर्थिक माहौल का लाभ** उठाना है।

## टैक्स हेवन के रूप में साइप्रस क्या कर लाभ प्रदान करता है?

- **कॉर्पोरेट कराधान:**
  - साइप्रस से संबंधित और नियंत्रित अपतटीय कंपनियों और अपतटीय **शाखाओं पर 4.25% कर लगता है।**
  - **विदेश से संबंधित अपतटीय शाखाएँ** और अपतटीय साझेदारियों कर से पूर्ण छूट का लाभ लेती हैं।
- **वैधोल्डिंग कर और लाभांश:**
  - साइप्रस लाभांश पर कोई **वैधोल्डिंग टैक्स** नहीं लगाता है।
  - अपतटीय संस्थाओं या शाखाओं के लाभकारी मालिकी लाभांश या मुनाफे पर अतिरिक्त कर के लिये उत्तरदायी नहीं हैं।
- **पूंजीगत लाभ और संपदा शुल्क:**
  - किसी अपतटीय इकाई में शेयरों की बिक्री या हस्तांतरण पर कोई पूंजीगत लाभ कर देय नहीं है।
  - एक अपतटीय कंपनी में शेयरों की वारिसत संपत्ति शुल्क से मुक्त है।
- **आयात शुल्क में छूट:**
  - विदेशी कर्मचारियों के लिये कार, कार्यालय या घरेलू उपकरण की खरीद पर कोई आयात शुल्क नहीं।
- **गुमनामी और गोपनीयता:**
  - साइप्रस अपतटीय संस्थाओं के लाभकारी मालिकों की गुमनामी सुनिश्चित करता है।
  - गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए साइप्रस में अपतटीय ट्रस्टों को किसी भी सरकार या प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

#### ■ अपतटीय टरस्ट:

- ऑफशोर टरस्ट ऐसे टरस्ट हैं जिनकी संपत्ति और आय साइप्रस के बाहर है तथा यहाँ तक कॅपिटल एवं लाभांश भी साइप्रस के स्थायी निवासी नहीं हैं।
  - यदि टरस्टी साइप्रस है तो साइप्रस में अपतटीय टरस्टों को संपत्ति शुल्क से छूट दी गई है।
  - अपतटीय टरस्टों द्वारा उत्पन्न आय और लाभ पर कोई कर नहीं।
- टरस्ट को किसी भी सरकार या अन्य प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है और यह गोपनीयता नए कानून में नहिंति है।

## साइप्रस के साथ भारत की कर संधिक्रिया है?

#### ■ वर्ष 2013 से पहले:

##### ○ पूंजीगत लाभ कर से छूट:

- भारत और साइप्रस के बीच एक कर संधि थी जो **निवेशकों को बाहर निकलने पर पूंजीगत लाभ कर से छूट** देती थी।
  - दोनों देशों में पूंजीगत लाभ पर शून्य कराधान ने **साइप्रस** को भारत में इक्विटी निवेश के लिये एक **पसंदीदा स्थान** बना दिया है।
- साइप्रस ने 4.5% के कम वडिहोलडिंग टैक्स की पेशकश की, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों के लिये इसका आकर्षण बढ़ गया।
  - वडिहोलडिंग टैक्स गैर-निवासियों द्वारा कर अनुपालन सुनिश्चित करने के एक साधन के रूप में कार्य करता है, जो अनिवासी व्यक्तियों को किये गए भुगतान पर लागू होता है।
  - आयकर अधिनियम, 1961 या **दोहरा कराधान अपवंचन समझौता (Double Taxation Avoidance Agreement- DTAA)**, जो भी कम हो, द्वारा परिभाषित दरों पर सरकार के पास जमा किये गए कर में कटौती के लिये भुगतानकर्ता ज़िम्मेदार थे।

## नोट:

- DTAA दो या दो से अधिक देशों के बीच हस्ताक्षरित एक कर संधि है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इन देशों में करदाता **एक ही आय पर दो बार कर लगाने से बच सकें**।
  - DTAA उन मामलों में लागू होता है जहाँ **करदाता एक देश में रहता है और दूसरे देश में आय अर्जित करता है**।
- DTAA या तो आय के सभी स्रोतों को कवर करने के लिये व्यापक हो सकते हैं या कुछ क्षेत्रों तक सीमित हो सकते हैं जैसे- शिपिंग, हवाई परिवहन, वसिस्त आदि से आय पर कर लगाना।
- **वर्ष 2013 से:**
  - भारत ने आयकर अधिनियम की धारा 94A के तहत 1 नवंबर, 2013 को साइप्रस को **अधिसूचित क्षेत्राधिकार (NJA)** के रूप में नामित किया।
    - NJA स्थितिके परिणामस्वरूप साइप्रस में संस्थाओं को भुगतान के लिये उच्च वडिहोलडिंग कर दर (30%) जैसे परिणाम देखे गए।
  - NJA में संस्थाओं के साथ लेन-देन भारतीय **हस्तांतरण मूल्य** निर्धारण नियमों के अधीन हो गया।
    - स्थानांतरण मूल्य निर्धारण एक उद्यम के अंदर न्यतिरति (या संबंधित) **कानूनी संस्थाओं (वभिन्नि देशों में स्थिति हो सकता है) के बीच बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिये मूल्य निर्धारण है**।
- **वर्ष 2016 से:**
  - वर्ष 2016 में साइप्रस के साथ एक संशोधित **DTAA** पर हस्ताक्षर किये गए थे, जिसमें वर्ष 2013 से पूर्वव्यापी प्रभाव से NJA स्थितिको रद्द करना स्पष्ट किया गया था।
  - शेयरों के हस्तांतरण से **पूंजीगत लाभ के स्रोत-आधारित कराधान** के लिये नया DTAA पेश किया गया।
    - अलाव का तात्पर्य **मालिक द्वारा संपत्तिकी स्वैच्छिक बिक्री/स्थानांतरण या त्याग से है**।
  - 1 अप्रैल, 2017 से पहले किये गए निवेश को **ग्रैंडफादरिंग क्लॉज़** द्वारा संरक्षित किया गया है, जिससे करदाता के निवास के देश में पूंजीगत लाभ पर कराधान की अनुमति मिलती है।
- **वशिलेण और नहिंतिारथ:**
  - चरणबद्ध विकास साइप्रस के साथ भारत की कर व्यवस्था की गतिशील प्रकृति को दर्शाता है।
    - स्रोत-आधारित कराधान की दशा में कदम **कर चोरी** को रोकने और उचित राजस्व वितरण सुनिश्चित करने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है।
    - वैश्विक स्तर पर कर-संबंधित मामलों पर बढ़ती जाँच, जैसा कि विदेशी जाँच से पता चला है, ने कर संधियों के प्रति भारत के दृष्टिकोण को प्रभावित किया है।
    - **ग्रैंडफादरिंग क्लॉज़** का उद्देश्य महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनों से पहले किये गए निवेशों के लिये निरंतरता और स्थिरता प्रदान करना था।
- **साइप्रस में भारतीय कंपनियों की वैधता:**
  - साइप्रस में एक अपतटीय कंपनी स्थापित करना **अवैध नहीं है**।
  - भारत का साइप्रस सहित कई देशों के साथ DTAA है, जो कम कर दरों की पेशकश करते हैं।
    - कंपनियाँ ऐसे देशों में कानूनी रूप से उपलब्ध कर लाभों का आनंद लेने के लिये अपने **कर निवास प्रमाणपत्र** का उपयोग करती हैं।
    - इन न्यायक्षेत्रों की विशेषता सामान्यतः कमज़ोर नयामक नगिरानी और सख्त गोपनीयता कानून हैं।

## नविशक साइप्रस को टैक्स हेवन के रूप में कैसे उपयोग करते हैं?

- साइप्रस में **शेल कंपनियों** के कई नेटवर्कों के माध्यम से धनराशि को प्रसारित करके **मनी लॉन्ड्रिंग** की सुविधा प्रदान की जाती है।
  - शेल कंपनी एक ऐसी फर्म है जो अर्थव्यवस्था में **कोई संचालन नहीं करती है**, लेकिन यह **अर्थव्यवस्था में** औपचारिक रूप से पंजीकृत, नगिमति या **कानूनी रूप** से संगठित होती है।
- साइप्रस में उच्च स्तर की **बैंकिंग गोपनीयता है** और यह अन्य देशों के साथ वित्तीय खातों की जानकारी का स्वचालित रूप से आदान-प्रदान नहीं करता है।
  - यह नविशकों को अधिकारियों और लेनदारों से **संपत्ति एवं आय छपाने** में सहायता करता है।
- इसके अलावा नविशक रणनीतिक दान और लॉबी प्रथाओं के माध्यम से **राजनीति तथा नीति-निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं**।

## भारत टैक्स हेवन के रूप में साइप्रस के उपयोग पर कैसे अंकुश लगा सकता है?

- **अनुपालन तंत्र को सशक्त करना:** भारत द्वारा प्रवर्तन एवं अनुपालन तंत्र को मज़बूत किया जाना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि **कर अधिकारियों के पास** कर चोरी और परविर्जन के मामलों का पता लगाने, जाँच करने एवं मुकदमा चलाने के लिये **पर्याप्त संसाधन एवं शक्तियाँ मौजूद** हैं। इस माध्यम से साइप्रस को टैक्स हेवन के रूप में उपयोग करने की स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है।
- **उत्तरदायित्व के उपाय:** भारत को **अपतटीय संस्थाओं की पारदर्शिता एवं जवाबदेही** बढ़ानी चाहिये जिससे उनके हितधिकारी स्वामियों, नदिशकों एवं वित्तीय गतिविधियों का खुलासा हो सके।
  - भारत साइप्रस संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को किये गए भुगतान पर **वदिहोल्डिंग टैक्स एवं परविर्जन-वशिधी उपाय** का इस्तेमाल भी कर सकता है।
- **सशक्त अधिनियम:** भारत मज़बूत कानून बनाकर तथा लागू करके कर संधियों के दुरुपयोग का समाधान कर सकता है। इसमें इन कानूनों के दायरे तथा कवरेज का विस्तार करना एवं उनके प्रभावी कार्यान्वयन व नगिरानी को सुनिश्चित करना शामिल है।
- **नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना:** **करदाताओं के नैतिक तथा ज़िम्मेदार व्यवहार** को बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहन देना चाहिये तथा उन्हें करों का उचित हिससा चुकाने एवं राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

## साइप्रस से संबंधित मुख्य तथ्य:

- साइप्रस **पूर्वी भूमध्य सागर** में स्थित एक द्वीपीय देश है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 9,251 वर्ग किलोमीटर है।
- लगभग **1.2 मिलियन लोगों की आबादी के साथ यह भूमध्य सागर में तीसरा सबसे बड़ा एवं तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है**।
- **राजधानी:** इसकी राजधानी निकोसिया है।
- साइप्रस 2004 से **यूरोपीय संघ** का सदस्य रहा है।
- साइप्रस में अनुकूल भूमध्यसागरीय जलवायु है, जिसमें ऊष्म ग्रीष्मकाल एवं हल्की सर्दियाँ होती हैं।
- साइप्रस भौतिक रूप से विभाजित है, इसका **दक्षिणी भाग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा शासित है और उत्तरी भाग तुर्की द्वारा नियंत्रित है**।